झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

संकल्प

विषय :– राज्य योजनान्तर्गत महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के तहत् महिलाओं को सैनिटरी पैड आपूर्त्ति योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति।

किशोरियों एवं महिलाओं को सुदृढ़ पोषण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ उपलब्ध कराकर एवं इनमें एतद् संबंधी अच्छी आदतें प्रबुद्ध करने सहित महिलाओं से संबंधित उत्कृष्ट सामाजिक रिवाज प्रवृत्त करने ताकि किशोरियों एवं महिलाओं के लिए एक सशक्त एवं प्रगतिशील समाज का निर्माण कर उनका कल्याण एवं सशक्तीकरण सुनिश्चित किया जा सके, के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक अम्ब्रेला योजना के रूप में महिला एवं किशोरी कल्याण योजना की परिकल्पना की गई है।

2. इसके तहत् महिलाओं में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी बेहतर आदतों यथा– सैनिटरी पैड का उपयोग को प्रोत्साहित करना एक अवयव के रूप में सन्निहित है। इन प्रयासों से :–

क) महिलाओं में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूक बनाया जा सकेगा ;

ख) महिलाओं में सैनिटरी पैड के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकेगा ;

ग) इस प्रकार उन्हें विभिन्न रोगों से बचाया जा सकेगा ;

घ) किशोरियों एवं महिलाओं के आत्मबल में वृद्धि से उन्हें प्रगति की राह में अग्रसर बनाया जा सकेगा।

3. विभागीय अपर सचिव की अध्यक्षता में महिला एवं बाल कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्य कर रहे पदाधिकारियों एवं विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर महिलाओं को सैनिटरी पैड की आवश्यकताओं एवं आपूर्त्ति पर व्यय के संदर्भ में एक प्रतिवेदन प्राप्त की गई। समिति द्वारा विभिन्न हितधारकों से विमर्श कर महिलाओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई।

4. सम्यक् विचारोपरांत राज्य योजनान्तर्गत महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के तहत् महिलाओं को सैनिटरी पैड आपूर्त्ति योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना निम्नवत् कार्यान्वित की जायेगी :–

i. योजनान्तर्गत राज्य में निवासित 20–40 वर्ष के महिलाओं को प्रत्येक तीन माह पर 06 सैनिटरी पैड के तीन–तीन पैकेट आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। लाभार्थियों को सैनिटरी पैड पैकेट Village Health, Sanitation & Nutrition Day (VHSND) पर आँगनबाड़ी केन्द्र पर वितरीत किया जायेगा।

ii. सेवा प्राप्ति हेतु लाभार्थी का स्वंय/जिनपर वे आश्रित हैं, का केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रुप से नियोजित अथवा से सेवानिवृत नहीं होना अथवा इन नियोजनकर्त्ता से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं होना अथवा आयकर दाता नहीं होना आवश्यक होगा। इस संदर्भ में लाभार्थी द्वारा स्व–घोषणा पत्र लाभ प्रदान करने वाले आँगनबाड़ी केन्द्र को समर्पित किया जायेगा।

iii. एतद्संबंधी सेवाएँ प्राप्त करने वाले महिलाओं का पंजीकरण वैध अभिलेखों (UIDAI-आधार को प्राथमिकता) के आधार पर आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यद्यपि महिलाओं के UIDAI-आधार नहीं रहने के कारण उन्हें इस सेवा प्राप्ति से वंचित नहीं किया जायेगा एवं अन्य पहचान पत्रों यथा– पैन कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पहचान पत्रों के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा तथापि आंगनबाड़ी सेविका द्वारा ऐसी महिलाओं का आधार पंजीकरण शीघ्रातिशीघ्र कराया जायेगा तथा इस आधार पर सेवा उपलब्ध कराई जायेगी। एतद् संदर्भ में लाभार्थियों द्वारा स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति लाभ प्रदान करने वाले आँगनबाड़ी केन्द्र को समर्पित किया जायेगा।

iv. लाभार्थियों को सैनिटरी पैड आपूर्त्ति निमित्त इनका क्रय कर राज्य के सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों में त्रैमासिक रूप से आपूर्त्ति कराई जायेगी ताकि प्रति तिमाही लाभाथियों के मध्य इन्हें वितरीत कराया जा सके।

v. आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा एतद् सामग्रियों के वितरण के संदर्भ में स्टॉक पंजी, वास्तविक लाभार्थियों की संख्या एवं उन्हें प्रदाय सामग्री संबंधी विस्तृत विवरणी प्रदर्शित करती पंजी अद्यतन रखी जायेगी।

vi. क) एतद् क्रय एवं आपूर्ति प्राप्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित क्रय एवं आपूर्ति प्रक्रिया नियमन के अनुपालन में पारदर्शी तरीके से किया जायेगा। यद्यपि अंतिम दर एतद् क्रय एवं आपूर्त्ति प्रक्रिया संबंधी विधिवत् न्यूनतम निविदा दर पर आधारित होगा।

ख) क्रय एवं आपूर्त्ति संबंधी कार्रवाई सरकार द्वारा निर्दिष्ट क्रय प्लेटफॉर्म पर खुली निविदा के माध्यम से सम्पादित कराई जायेगी।

ग) उक्त निविदा प्रणाली से चयनित न्यूनतम दर पर झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्द्धन संस्था, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड एवं इनके अधीनस्थ स्वंय सहायता समूहों/ग्रामीण संगठनों/महिला संगठनों से प्रति तिमाही सैनिटरी नैपकिन की आपूर्त्ति प्राप्त की जायेगी जितना वे आपूर्त्ति करने में सक्षम होंगे। शेष सैनिटरी नैपकिन का क्रय एवं आपूर्त्ति निविदा प्रणाली से चयनित एजेंसी से प्राप्त किया जायेगा।

5. लाभार्थियों को सैनिटरी पैड पैकेट (06 पैड वाले तीन–तीन पैकेट) उपलब्ध कराने पर प्रति तिमाही प्रति लाभूक रू०–54.00 का व्यय अनुमानित है। 20 – 40 वर्ष के के लगभग 40.00 लाख महिलाओं को लाभ प्रदान करने के अनुमान के आधार पर योजना कार्यान्वयन पर प्रतिवर्ष रू०–8640.00 लाख का व्यय आकलित है। चालू वि०व०–2023–24 के अन्तिम तिमाही से योजना कार्यान्वयन अनुमानित है अतएव चालू वि०व० में रू०–2160.00 लाख का व्यय आकलित है।

6. वित्तीय वर्ष 2023–24 में महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के तहत् राज्य मद में TSP अधीन रू०–3941.60 लाख एवं OSP अधीन रू०–3638.40 लाख अर्थात कुल रू०–7580.00 लाख बजट उपबंध प्राप्त है जिसके तहत् प्रस्तावित योजना कार्यान्वित कराई जायेगी।

7. योजना कार्यान्वयन पर आगत व्यय का वहन हेतु राशि राज्य मद के निम्न शीर्ष :–

(क) **जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना** – बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–02–समाज कल्याण, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–BA–महिला एवं किशोरी कल्याण योजना ;

(ख) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना – बजट उपबंध के मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–02–समाज कल्याण, लघु शीर्ष–103–महिला कल्याण, उप शीर्ष–BA– महिला एवं किशोरी कल्याण योजना ;

– के उपयुक्त शीर्षों/इकाईयों अधीन विकलनीय होगी।

8. एतद् संबंधी प्रावधान संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

9. एतद् पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक–16.03.2024 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या–10 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

07.06.24

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 05/म०स०/रा०यो०–सै०नै०–232/2023– 1239 राँची, दिनांक :–07.06.2024

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई० गजट को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

07.06.24

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : – 05/म०स०/रा०यो०–सै०नै०–232/2023– 1239 राँची, दिनांक :–07.06.2024

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झाखण्ड, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/महानिदेशक, झारखण्ड, राज्य पोषण मिशन, राँची/निदेशक, झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था, राँची/निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड, राँची/परियोजना निदेशक, झारखण्ड महिला विकास समिति, झारखण्ड, राँची/निःशक्तता आयुक्त, राज्य निःशक्तता आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्द्धन संस्था, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/माननीया विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड/सभी सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, राँची/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07.06.24

(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव